न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस.

मि0न0 — 18/2024

अनवान : —

1. ओमप्रकाश पुत्र निकूराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।

—प्रार्थी

बनाम्

1. बिदामी पत्नी मानाराम जाति जाट निवासी नेठरारा त0 भादरा।
2. गीता पुत्री मानाराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
3. शंकरलाल पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
4. गीता पत्नी राजकुमार पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
5. रीतू पुत्री राजकुमार पुत्र मानाराम नाबालिग जरिये वली कुदरती माता गीता पत्नी राजकुमार जाति जाट निवासी नेठराना त0 भादरा।
6. तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251
ए आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 ए
उपस्थिति :—श्री श्रवण सहारण प्रार्थी
श्री श्रवण सहारण द्वितीय अप्रार्थीगण

दिनांक:

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 बारानी के खाता सं0 58/57 के मु0न0 27 के किला न0 20—21 मु0न0 29 के किला न0 2, 3, 8, 9 की कुल 1.518है0 बारानी खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी के चिपते ही चक 1 बारानी के खाता सं0 76/57 के मु0न0 26 के किला न0 23 ता 25 मु0न0 29 के किला न0 1 ता 11 की कुल 1.518है0 अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 की मुश्तर्का खातेदारी है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि दो टुकडों में स्थित है। अप्रार्थीगण अपने खेत में जाने के लिए प्रार्थी की कृषि भूमि के किला न0 20 से होकर गुजरना पड़ता है। तथा प्रार्थी अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए अप्रार्थीगण के किला न0 11 का उपयोग करता है। इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनों को अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए रास्ता को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजि[illegible] जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामि[illegible] बाद प्रार्थी [illegible] अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की सभी मद संख्याओं को स्वीकार कर[illegible] राजीनामा [illegible] किया। अप्रार्थी सं0 7 [illegible] जवाब पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.30 16:07:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग के लिए अपनी खातेदारी के मु0न0 29 के किला न0 11/1 में 0.01265है0 रास्ता उतर से दक्षिण किला के पूर्वी तरफ व किला न0 10 के दक्षिणी–पूर्वी कोना में 0.001है0 लम्बाई में व सवा आठ फुट चौड़ाई तथा मु0न0 27 के किला न0 20 में पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण लम्बाई में 0.01265है0 व किला न0 21 के उतरी–पश्चिमी कोना में 0.001है0 लम्बाई में व सवा आठ फुट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है जिसे मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत किया जावें। उक्त प्रस्तावित रास्ता पर वकील अप्रार्थीगण ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों व राजीनामा एवं जवाब का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रस्तावित रास्ता की भूमि के एवज के बदले पक्षकारान के मध्य पूर्व में ही भूमि का आदान–प्रदान किया जाना स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 की सहमती अनुसार विवादित भूमि में प्रस्तावित रास्ता स्वीकार योग्य होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 1 बारानी क खाता सं0 76/57 के मु0न0 29 के किला न0 11/1 में 0.01265है0 रास्ता उतर से दक्षिण किला के पूर्वी तरफ व किला न0 10 के दक्षिणी–पूर्वी कोना में 0.001है0 लम्बाई में व सवा आठ फुट चौड़ाई तथा चक 1 बारानी के खाता सं0 58/57 मु0न0 27 के किला न0 20 में पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण लम्बाई में 0.01265है0 व किला न0 21 के उतरी–पश्चिमी कोना में 0.001है0 लम्बाई में व सवा आठ फुट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त करें।

आज दिनांक 23-08-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.08.30 16:07:54 IST
Reason: SelfAttested

23-08-24

(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner